राजस्व अपील संख्या : 78/2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 78/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/472

अपीलाण्ट्स :–

स्व. रघुवीरसिंह पुत्र तखतसिंह के कायम मुकाम

1. पदम कंवर पत्नी स्व. रघुवीरसिंह
2. सबलवीरसिंह पुत्र स्व. रघूवीरसिंह
3. मानवीरसिंह पुत्र स्व. रघूवीरसिंह
4. हिम्मतवीरसिंह पुत्र स्व. रघूवीरसिंह
5. मोनिका कंवर पुत्री स्व. रघुवीरसिंह जातिगण राजपुत, निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. नायब तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर
2. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत साण्डेराव
3. स्व. अर्जुनसिंह पुत्र देवीसिंह के कायम मुकाम वारिसानः–

3.1. भंवर कंवर पत्नी स्व. अर्जुनसिंह
3.2 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह
3.3 गणपतसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह
3.4 भवानीसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह
3.5 विक्रमसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह
3.6 पुष्पा कंवर पुत्री स्व. अर्जुनसिंह
3.7 सरोज कंवर पुत्री स्व. अर्जुनसिंह जातिगण राजपुत, निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा साण्डेराव चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 जो नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह देवड़ा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा।

–:निर्णयः–

दिनांकः 09.07.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा साण्डेराव चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 जो नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 78/2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद गौजा साण्डेराव पटवार हल्का साण्डेराव चक द्वितीय तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 1183, 1193 1195, 1196, 1197, 1209 कुल रकबा 11.5600 हैक्टेयर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिस भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में राजस्व वाद प्रकरण संख्या 81/2012 बअनवान रघूवीरसिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था एवं उसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था, जिस राजस्व वाद का उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर द्वारा दिनांक 23.05.2014 को निर्णय किया जाकर वाद केम्प कोर्ट में बिना सुनवाई के खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष बअनवान रघुवीरसिंह बनाम सरकार अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश की गई। जो अपील 30/2014 दर्ज की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2014 को विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके व कब्जे की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश जारी किया गया था। जो आदेश दिनांक 29.08.2022 तक प्रभावी रहा है। उसके बाद भी हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 1183 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम अजुनसिंह पुत्र देवीसिंह के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1833 किया गया, जो नामान्तरकरण भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव द्वारा चैक कर रेस्पोडेण्ट संख्या एक नायब तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष स्वीकृति हेतु पेश किया गया, जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 के बिना किसी जांच के राजस्व अपील अधिकारी, पाली के स्थगन के बाद भी स्वीकृत कर दिया गया। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि बाबत वाद/अपील विचाराधीन थी तथा उक्त प्रकरण में स्थगन भी जारी किया हुआ था एवं मौके पर कब्जा भी अपीलाण्ट का कब्जा है। उपरोक्त भूमि पर हम अपीलाण्ट्स का ही शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से न्यायालय के स्थगन के बाद भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जो खारिज योग्य है।

यह भी कि, रेस्पोडेण्ट संख्या एक को जानकारी थी कि उपरोक्त भूमि पर अर्जुनसिंह पुत्र देवीसिंह का कोई कब्जा स्वामित्व नहीं हैं तथा उपरोक्त भूमि पर रघुवीसिंह पुत्र तखतसिंह का पुश्तैनी रुप से कब्जा काश्त व हक अधिकार है उपरोक्त भूमि बाबत वाद भी विचाराधीन हैं एवं न्यायालय द्वारा स्थगन भी जारी किया हुआ था। उसके उपरान्त भी बिना किसी वैध आधार के नामान्तरकरण को अर्जुनसिंह पुत्र देवीसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम स्वीकृत कर दिया है जबकि उपरोक्त भूमि पर पुश्तैनी रुप से वक्त जागीरी से यानि टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पूर्व ही अपीलाण्ट्स के पूर्वजों दादा/ससूर तखतसिंह पुत्र सज्जनसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में दर्ज है।

यह भी कि, अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी साण्डेराव से हाल ही में उपरोक्त कृषि भूमि नकल प्राप्त की गई तो अपीलाण्ट को जानकारी हुई कि वाद के विचाराधीन रहते एवं न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 78 / 2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

के स्थगन के बाद भी नामान्तरकरण अर्जुनसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया है। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड व नामान्तरकरण की नकल दिनांक 28.05.2024 को हल्का पटवारी चक द्वितीय से प्राप्त की गई। अपीलाण्ट का कब्जा होने के बाद भी हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 1833 भरा गया जो रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा बिना जांच के भरा गया है।

अधिवक्ता ने रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के कायम मुकाम वारिसान की ओर से निशेष कथन कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि, जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण मौजा साण्डेराव चक द्वितीय के खसरा संख्या 1183 के खातेदार काश्तकार की मृत्यू होने पर उनके विधिक वारिसानों के नाम इन्द्राज किये गये। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1183 की भूमि शुरू से ही अर्जुनसिंह वल्द देवीसिंह के नाम इन्द्राज चली आ रही हैं तथा अर्जुनसिंह वल्द देवीसिंह के देहांत के पश्चात उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1833 रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के नाम इन्द्राज किया गया जो विधिवत रूप से पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं है। जो अपील खारिज करने योग्य है।

   यह है कि खसरा संख्या 1183 की कृषि भूमि सेटलमेंट से पूर्व पुराने खसरा संख्या 599 मी. व खसरा संख्या 596 मी. से बड़ा हैं। जो भूमि सेटलमेंट से पूर्व एकीकरण जमाबंदी संवत् 2016 में पुराने खसरा संख्या 599 व 596 खातेदारी अर्जुनसिंह पुत्र देवीसिंह राजपुत के नाम दर्ज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट में उक्त कृषि भूमि सेटलमेंट से पूर्व ही रेस्पोडेण्ट के पूर्वज अर्जुनसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम इन्द्राज चली आ रही हैं और वर्तमान में उनके देहांत के बाद उनके विधिक वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 के नाम नामान्तरकरण संख्या 1833 के जरिये अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज विधिवत रूप से किया गया। ऐसे नामान्तरकरण को कानूनन निरस्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है। जो अपील खारिज करने योग्य है।

3. यह है कि खसरा संख्या 1183 में अपीलाण्ट का किसी तरह से कोई हक अधिकार है तो इस संबंध में इस नामान्तरकरण अपील के जरिये अपीलाण्ट द्वारा कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण अपीलाण्ट की यह अपील खारिज करने योग्य है।
4. यह है कि अपीलाण्ट के पिता रघूवीरसिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1183 में अपने हक अधिकार बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 से 3.7 को बिना पक्षकार बनाये ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, सुमेरपुर के समक्ष राजस्व वाद संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 78/2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

85/2012 बअनवान रघूवीरसिंह बनाम सरकार का खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था, जो वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा खारिज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 को पारित की थी। जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट के पिता रघूवीरसिंह ने श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 15/2017 प्रस्तुत की थी। उस दौरान अपीलाण्ट के पिता रघुवीरसिंह के देहांत के बाद उक्त अपील में अपीलाण्ट पक्षकार संयोजित हुये थे। तत्पश्चात श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 15.02.2024 पारित कर अपील अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर तनकीवार निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया था। लेकिन जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को इस अपील का नोटिस प्राप्त होने पर हुई। अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, द्वारा अभी तक अपीलाण्ट के उक्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार बाबत कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के हक अधिकार उक्त वाद में ही तय होने है। इस कारण से भी उक्त नामान्तरकरण अपील खारिज करने योग्य है।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 ने अपील मीमों का संक्षिप्त जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. सरहद मौजा साण्डेराव चक द्वितीय तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा संख्या 1183, जो रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 के खातेदार हक अधिकारों की है, सहित खसरा संख्या 1193, 1195, 1196, 1197, 1209 की कृषि भूमि आयी हुई है। जिस कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के पिता रघूवीरसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में राजस्व वाद खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का बअनवान रघूवीरसिंह बनाम सरकार राजस्व वाद संख्या 85/2012 प्रस्तुत किया था। जो खारिज हो चुका हैं। जिसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसके विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पेश की थी जो अपील 30/2014 दर्ज की गई जो अपील भी अपीलाण्ट स्वयं द्वारा नोट प्रेस के जरिये खारिज की गई। जिस अपील व वाद में रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 से 3.7 को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया और जबकि खसरा संख्या 1183 के रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 से 3.7 खातेदार काश्तकार है। जिस खसरा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने में रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 को उक्त अपील के नोटीस प्राप्त होने पर उक्त वाद व अपील बाबत कथन होने पर हुई। उक्त वाद व अपील में अभी तक किसी भी न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया और चूंकि उक्त वाद व अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 से 3

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 78/2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

7 पक्षकार संयोजित नहीं होने से व जानकारी के अभाव में उक्त वाद व अपील में पारित कोई आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 पर प्रभावी व लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 ने अपने पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 1183 की खातेदारी काश्त का अर्जुनसिंह पुत्र देवीसिंह की फौत होने पर उनके विधिक वारिसानों के रुप में नामान्तरकरण संख्या 1833 भरा गया। जो भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रुप से जांच की गई तथा तत्पश्चात नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध उक्त अपील बिना विधिक आधार के प्रस्तुत की गई है जो अपील खारिज करने योग्य है। तथा उक्त कृषि भूमि पर शुरु से ही आज दिन तक रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 सहित पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण से अपीलाण्ट की अपील खारिज करने योग्य है।

2. यह है कि नामान्तरकरण संख्या 1833 विधिवत रुप से जांच कर नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया विधि के प्रावधानों अनुसार विधिवत रुप से स्वीकृत किया गया है जिस कारण अपीलाण्ट की अपील खारिज करने योग्य है।

3. यह है कि जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व कानूनन अपीलाण्ट को सुनने का कोई हक अधिकार नहीं था क्योंकि उक्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण से भी अपीलाण्ट की अपील खारिज करने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

यह है कि अपील के पेरा संख्या 3 में अपीलाण्ट ने जो तथ्य दर्ज किये वह पूर्णतः झूठे दर्ज किये है जो तथ्य अपीलाण्ट के पिता रघूवीरसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद के न्यायालय द्वारा खारिज करने से भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1183 के भूमि पर अपीलाण्ट के पिता रघूवीरसिंह का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, न ही वर्तमान में है और न ही उक्त भूमि पर पुश्तैनी रुप से वक्त जागीरी से यानि काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अपीलाण्ट के पूर्वज दादा/ससूरी तखतसिंह का कभी कब्जा काश्त रहा, न ही वर्तमान में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। इसी कारण से रघूवीरसिंह द्वारा उक्त भूमि खसरा संख्या 1183 की खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभी तक किसी भी न्यायालय से रघूवीरसिंह व उनके वारिस अपीलाण्ट को कोई रिलीफ खसरा संख्या 1183 बाबत प्रदान नहीं की गई ऐसी स्थिति में जब अपीलाण्ट का खसरा संख्या 1183 बाबत घोषणा का दावा ही खारिज हो चुका है तो न्यायालय अपीलाण्ट को इस नामान्तरकरण अपील में कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती। इस कारण से अपील खारिज करने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 78/2024

उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

5. यह है कि अपील के पैरा संख्या 4 में दर्ज कथन पूर्णतः गलत इन्द्राज किये हैं वाद व स्थगन अपील में अपीलाण्ट ने जानबुझकर रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 को पक्षकार संयोजित नहीं किया व उनकी जानकारी के अभाव में उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपना नाम जरिये नामान्तरकरण इन्द्राज करवाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 किसी तरह से कानूनन दोषी नहीं है।

6. यह है कि अपील के पैरा संख्या 5 में दर्ज कथन पूर्णत झूठे व गलत अंकित किये हैं अपीलाण्ट ने उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1183 पर टिनेन्सी एक्ट लागू होने पर से पूर्व अपीलाण्ट के पूर्वजों की होना तथा वर्तमान में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना अंकित किया है जिस सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषण बावत वाद प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही किया जा चुका है तथा जो वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। जिस वाद में वादी ने अपने साक्ष्य सबूत दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। उसके बावजुद भी अधीनस्थ सक्षम न्यायालय ने उक्त कृषि भूमि पर न तो अपीलाण्ट के पूर्वजों का कब्जा माना न ही अपीलाण्ट का कब्जा माना और वाद को खारिज किया। ऐसी स्थिति में उन्हीं तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की जो खारिज करने योग्य है।

7. यह है कि पैरा संख्या 06 में दर्ज कथन पूर्णतः गलत व झूठे है जब अपीलाण्ट को उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1183 में कोई हक अधिकार ही नहीं है और अपीलाण्ट का उक्त कृषि भूमि बावत खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तो अपीलाण्ट को कानुनन उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 के विधिक वारिसानों के रुप में नाम दर्ज करने के नामान्तरकरण को प्रश्नगत करने का कोई हक अधिकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भी उक्त अपील खारिज करने योग्य है।

8. यह है कि पैरा संख्या 7 का जवाब यह है कि जब अपीलाण्ट को कोई अपील प्रस्तुत करने का कानुनन कोई हक अधिकार ही नहीं है तो ऐसी अपील कानूनन खारिज करने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील जवाब में दर्ज तथ्यों व आधारों पर सव्यय खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं दो बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर से आलोच्य नामान्तरकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 78/2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 30/2014 में प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2014 के उल्लंघन में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 स्वीकृत किया गया है, जो अपास्त योग्य है। यह भी, कि अपीलाण्ट को आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.05.2024 को हल्का पटवारी से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर हुई, अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना में स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरकरण का खारिज फरमाया जावें।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1 लगायत 3/7 ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में दर्ज खातेदारी उदघोषणा के वाद तथा सहवर्ती प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया था और न ही उनके द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में दायर अपील में ही उनको पक्षकार संयोजित किया गया। अतः यदि अपीलीय न्यायालय का ऐसा कोई स्थगन आदेश रेस्पोडेण्ट्स के सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं रखता है। यह भी, कि अपीलाण्ट विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1183 के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अवगत कराया कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में दायर मूल वाद बावत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 85/2012 उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2016 को खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रकरण संख्या 15/2017 दायर की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 15/2017 को दिनांक 15.02.2024 को निर्णीत करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है, जो आदिनांक विचाराधीन है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए हस्तगत नामान्तरकरण अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस के दौरान उठाए गए तर्कों पर मनन किया गया। अपील मीमो, प्रत्युत्तर तथा उभयपक्ष द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपील का गुणावगुण आधार पर निर्णयन करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्णयन आवश्यक है। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1833 स्वीकृति दिनांक 16.02.2022 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.05.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने पर हुई, अतः देरी का उपशमन करते हुए अपील को मियाद शुमार घोषित किया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपने अपील प्रत्युतर में उक्त प्रार्थना पत्र तथा मियाद के प्रश्न पर कोई कथन नहीं किया है और न ही बहस के दौरान ऐसा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिस आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के विरुद्ध कोई अन्य उपधारणा की जा सके। अतः अन्य कोई प्रतिकूल विकल्प नहीं होने से उक्त मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत नामान्तरकरण अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

अपीलार्थीगण द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 को मूलतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि उक्त नामान्तरकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2014 के प्रभावी रहते हुए उसकी अवहेलना में स्वीकृत किया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में जैर अपील भूमि खसरा संख्या 1183 के साथ साथ मौज़ा साण्डेराव के खसरा संख्या 1193, 1195 लगायत 1197 तथा खसरा संख्या 1209 के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में एक वाद प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण संख्या 85/2012 के रुप में दर्ज हुआ। उक्त मूलवाद के सहवर्ती अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 81/2012 भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 81/2012 को ज़रिए निर्णय दिनांक 23.05.2014 के ख़ारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 30/2014 के रुप में दर्ज हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2014 को उक्त प्रकरण संख्या 30/2014 में विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड, मौके एवं कब्जें की स्थिति आगामी पेशी तक यथावत कायम रखने के आदेश दिए गए। उक्त स्थगन आदेश पेशी दर पेशी आगे बढ़ाया जाकर दिनांक 29.08.2022 को प्रकरण ज़रिए नोट प्रेस ख़ारिज होने तक प्रभावी रहा। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में दायर उक्त अपील प्रकरण संख्या 30/2014 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अन्य खसरों के साथ साथ खसरा संख्या 1183 का भी जैर न्यायिक होना दस्तावेजों से सिद्ध है तथा आलोच्य नामान्तरकरण की मूल प्रति से यह जाहिर होता है कि नामान्तरकरण प्रविष्ठि संख्या 1833 के द्वारा खसरा संख्या 1188/1 के साथ साथ प्रश्नगत खसरा संख्या 1183 में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 78/2024
उनवान : स्व. रघुवीरसिंह के का.मु. पदम कंवर व अन्य बनाम नायब तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

स्वर्गीय अर्जुनसिंह के फौत होने पर उनके वारिसों रेस्पोडेण्ट संख्या 3.1 लगायत 3.7 के पक्ष में फौतेदगी नामान्तरकरण इन्द्राज किया गया। उक्त नामान्तरकरण नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 16.02.2022 को स्वीकृत किया गया, जबकि खसरा संख्या 1183 मौजा साण्डेराव के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने का न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 30/2014 में प्रदत्त स्थगन आदेश उक्त स्वीकृति तिथि दिनांक 16.02.2022 तक प्रभावी था।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर तथा अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत उक्त अपील प्रकरण संख्या 30/2014 में रेस्पोडेण्ट पक्षकार के रुप में संयोजित नहीं थे, अतः पूर्वोक्त स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2014 रेस्पोडेण्ट की हद तक अप्रभावी है अर्थात उन पर लागू नहीं होता है। किन्तु अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष का उपरोक्त तर्क इस कारण स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि अपीलीय न्यायालय में दर्ज अपील प्रकरण संख्या 30/2014 में तहसीलदार सुमेरपुर पक्षकार के रुप में संयोजित है और नामान्तरकरण स्वीकृतकर्ता अधिकारी नायब तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 26(a) के अन्तर्गत तहसीलदार के रुप में ही दायित्व निर्वहन करते हुए आलोच्य नामान्तरकरण की स्वीकृति दी है। चूंकि राजस्व अभिलेख को ज़रिए नामान्तरकरण अद्यतन करने का एक मात्र दायित्व राजस्व अधिकारियों का ही है, अतः यह तथ्य अप्रासंगिक है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1 लगायत 3/7 अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से पूर्वोक्त स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2014 से अप्रभावी थे।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी ग्राह्य नहीं है कि अपीलार्थीगण का हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित भूमि में Locus standi नहीं हैं। अपीलार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1183 एवं अन्य खसरों के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा प्रकरण संख्या 85/2012 प्रस्तुत कर रखा है, जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 15/2017 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को पुनप्रेषित किया गया है और अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार आदिनांक लम्बित है। न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि उपरोक्त न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थीगण हस्तगत प्रकरण में Locus standi नहीं रखते है।

सक्षेप में, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रमाणित पाया जाता है कि मौज़ा साण्डेराव के खसरा संख्या 1183 के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 30/2014 में प्रदत्त मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत निषेधाज्ञा दिनांक 05.06.2014 के प्रभावी रहते हुए ही ज़रिए नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 के रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1 लगायत 3/7 के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

गया। अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश के उल्लंघन में उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करना न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त के प्रतिकुल एवं इस आधार पर अवैधानिक इन्द्राज की श्रेणी में शुमार है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाती है तथा ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1833 दिनांक 16.02.2022 को खसरा संख्या 1183 की हद तक अपास्त किया जाता है साथ ही, प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को पुनर्प्रेषित करते हुए निर्देश दिऐ जाते हैं कि विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विचाराधीन न्यायिक कार्यवाहियों तथा स्थगन (if any) इत्यादि तथ्यों के आलोक में एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सर कार्यवाही प्रभाव में लाए।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए। तहसीलदार सुमेरपुर को माफ़िक निर्णय तहरीर जारी हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner